न्यायालय सहायक कलक्टर मुण्डावर जिला अलवर राज0

पीठासीन अधिकारी :– रामसिंह राजावत (**R.A.S.**)

दावा संख्या 138 / 2021	रजू दिनांक 26.02.2021	अन्तिम पर्चा डिक्री दिनांक 09.03.2021

उनवान

1 दौलतराम पुत्र तेजराम कौम माली निवासी ग्राम मातौर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

–: वादी

बनाम

1. रामदयाल पुत्र हीरालाल कुम्हार
2. बाबूलाल पुत्र सेढूराम जाति कुम्हार
3. प्रभू पुत्र सेढूराम जाति कुम्हार
4. गरीबो पुत्र जयनारायण कुम्हार
5. भूरयो पुत्र जयनारायण कुम्हार
6. गिर्राज पुत्र जयनारायण कुम्हार निवासी ग्राम मातौर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।
7. राज0 सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार साहब मुण्डावर जिला अलवर राज0।

–: प्रतिवादीगण

दावा 53 व 188 राज0 काश्त अधि0

–: अन्तिम पर्चा डिक्री :–

वादी की ओर से **श्री हनुमान प्रसाद गुप्ता एडवोकट** की उपस्थिति एवं प्रतिवादीगण की ओर से **श्री शोभाराम चौधरी एडवोकट** की उपस्थिति में इस वाद में **आज दिनांक 09.03.2021** को **श्री रामसिंह राजावत, सहायक कलक्टर मुण्डावर** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता,है **और अन्तिम डिक्री दी जाती है:–**

" तहसीलदार मुण्डावर के द्वारा पेश कुरेजात प्रस्ताव पर वादी का वाद पत्र अन्तिम डिक्री किया जाकर वाके ग्राम चकोलिया तहसील मुण्डावर, जिला अलवर में स्थित भूमि आराजी हाल खसरा नम्बर 200 रकबा 0.63, 390 रकबा 0.42, 174 रकबा 0.51, 175 रकबा 0.78 है0 अनुसार वादी के नाम पृथक से खाता विभाजन कर लगान कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्राप्त कुर्रेजात प्रस्ताव प्रदर्श "अ" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार मुण्डावर रिकॉर्ड में अमल, तरमीम करावे। [illegible] को मिलने वाले खसरे/रकबे/कब्जे काश्त/हक अधिकार में, किसी तरह की [illegible] किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार से, किसी भी माध्यम से न करे न करावे। [illegible] यदि कोई हो तो सम्बंधित खातेदार को प्राप्त होने वाले खसरे/रकबे/हिस्से के हिसाब से दर्ज किया जावे। लगान आनुपातिक कायम करे।"

यह अन्तिम पर्चा डिक्री आज दिनांक 09.03.2021 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.03.31 10:16:40 IST
Reason: SelfAttested

(रामसिंह राजावत)
सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर) राज0